



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र 1942 (श0)
(सं0 पटना 623) पटना, मंगलवार, 22 सितम्बर 2020

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर 2020

सं० बी1-03-82/2020-23—बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर 80 (अस्सी) वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता वाले निर्वाचक को डाक मतपत्र से मतदान करने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-52/2020/एसडीआर/खंड I दिनांक 17.09.2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मिथिलेश कुमार साहु,

संयुक्त सचिव —सह-संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 17 सितंबर, 2020

सं. 52/2020/एसडीआर/खंड 1— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा निर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निः शक्तता वाले निर्वाचक जिन्हें राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले ही चिह्नित/इंगित किया जा चुका है और जो डाक मतपत्र के द्वारा मतदान करने का अनुरोध करते हैं, आगामी आदेशों तक निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III के उपबंधों, विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 3786 (अ). दिनांक 22 अक्टूबर, 2019 के जरिएयथा-संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में साधारण निर्वाचनों या उप-निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के वर्ग होंगे।

आदेश द्वारा
(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
वरिष्ठ प्रधान सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Nirvachan sadan, Ashoka road, New Delhi- 110001/ Dated: 17th September, 2020

No.52/2020/SDR/Vol.I — In pursuance of the provisions of clause (c) of Section-60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the electors above the age of 80 years and electors with physical disability as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State/Union Territory and who request for voting by postal ballot paper, would be a class of persons to give vote by postal ballot in the general elections or bye-elections in the State/Union Territory concerned, to be notified under Section 30 of Representation of the People, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Election Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India Notification So No. 3786(E), dated 22nd October, 2019, and the directions and guidelines issued by the Election Commission, until further orders.

By Order,
(NARENDRA N. BUTOLIA)
Sr. Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 623-571+50-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>